

अशासकीय संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान प्रस्ताव

विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त विभागीय मान्यता के प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा के बाद संचालनालय सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं।

इसी संदर्भ में अशासकीय संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा के बाद संचालनालय सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश भोपाल को प्रेषित किये जाते हैं। इस जिले में वर्तमान में 14 अशासकीय संस्थाएँ हैं। लेकिन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दो संस्थाओं को क्रमशः विकलांग सेवा भारती तथा स्नेह निकेतन को प्रतिवर्ष अनुदान प्राप्त हो रहा है साथ ही जिले में रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम एवं कुष्ठाश्रम में रहने वाले हितग्राहियों के पुनर्वास हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(10) नशामुक्ति: नशामुक्ति एवं पुनर्वास तथा परामर्श से संबंधित संस्थाओं के मान्यता एवं अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा के बाद संचालनालय सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश भोपाल को प्रेषित किये जाते हैं। इस दिशा में अशासकीय संस्था न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर कार्य कर रही है।

बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना 2009

योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के, जो जीविकोपार्जन के लिए असमर्थ हैं, सहायता प्रदान करना है, वर्तमान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, ऐसे निःशक्तजनों की देखभाल करने में उनके माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ऐसे निःशक्तजनों को उनके जीविकोपार्जन हेतु रूपये 500/- (रूपये पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने से उन्हें विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग मिलेगा और यह उनके लिए आर्थिक सहायता होगी।

इस प्रकार सहायता अनुदान देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

- (क) बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- (ख) उसे छह वर्ष से अधिक आयु होने संबंधी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- (ग) उस निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का सं. 1) के अनुसार अपनी निःशक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन अनिवार्य होगा।
- (घ) बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के माता-पिता/पालक या अभिभावक को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों।

इस प्रकार सहायता अनुदान देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

- (1) बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन या उसके माता अथवा पिता या पालक अथवा अभिभावक को विहित प्ररूप -क में संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र की दशा में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के माध्यम से संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (2) ऐसे समस्त आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम उसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता का प्रमाणीकरण करते हुए संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (3) सहायता अनुदान की राशि नगद देय नहीं होकर हितग्राही के बचत खाते में सीधे जमा की जाएगी, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि सीधे संबंधित बहुविकलांग या मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के बचत खाते में जमा की जावेगी।
- (4) संबंधित निःशक्तजन एवं उसके माता अथवा पिता या पालक अथवा अभिभावक का संयुक्त बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोला जाना अनिवार्य होगा।
- (5) संबंधित बहुविकलांग या मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को सहायता अनुदान का लाभ कलेक्टर द्वारा स्वीकृति की तारीख से देय होगा।

1 gk; rk vupku Lohdfr ds vf/kdkj &

- (1) सहायता अनुदान स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर से निहित होगा।
- (2) जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में की जाएगी उक्त रजिस्टर स्थाई स्वरूप का होगा।
- (3) प्राप्त सभी आवेदनों की उनकी पात्रता या अपात्रता की स्थिति अभिनिश्चित करते हुए पूर्ण रूप से स्पष्ट परीक्षण करके कलेक्टर को स्वीकृति या अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सहायता अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (4) सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे प्रत्येक निःशक्तजन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रैल मास में स्वयं के जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र सरपंच या नगर पालिका या नगर निगम के पार्षद से प्रमाणित कराकर प्ररूप "ख" में प्रमाण पत्र के साथ जिला कार्यालय सामाजिक न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
- (5) उक्त योजना पर उपगत व्यय विभाग को स्वीकृत बजट में से विनियोजित किया जाएगा।

; kstuk vrxlr vkonu i = ds l kfk fuEufyf[kr iæk.k i = l ayXu
gkx&

1. मूल निवासी प्रमाण पत्र
2. जाति प्रमाण पत्र
3. संयुक्त फोटोग्राफ (निःशक्त/अभिभावक)
4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र
5. मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. बुद्धिलब्धता प्रमाण पत्र
7. गरीबी रेखा सूची का सर्वे क्रमांक
8. राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये संयुक्त बचत खाता क्रमांक/पासबुक की छायाप्रति

प्रारूप "क"
आवेदन का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

बहुविकलांग/मानसिक रूप से अ विकसित निःशक्तजन को सहायता अनुदान स्वीकृत करने हेतु
(यह योजना केवल ऐसे बहुविकलांग/मानसिक रूप से अ विकसित निःशक्तजन के लिए है, जिनके माता/पिता/पालक/
अभिभावक/परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हों)

1. निःशक्तजन का पूरा नाम
 2. निःशक्तजन का लिंग (पुरुष/महिला)
 3. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम
 - माता का नाम
 4. स्थायी निवास का पूरा पता (मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
 5. निःशक्तता का प्रकार एवं निःशक्तता का प्रतिशत (निः शक्तता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
 - (क) बहुविकलांगता
 - (ख) मानसिक रूप से अ विकसित
 6. निःशक्तजन की जन्मतिथि आयु वर्ष
 7. बहुविकलांगता मानसिक रूप से अ विकसित निःशक्तजन के माता/पिता/पालक/अभिभावक परिवार का गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने का विवरण :-
 - (क) गरीबी रेखा से नीचे की सूची में दर्ज माता/पिता/पालक/अभिभावक का नाम
 - (ख) गरीबी रेखा से नीचे की सूची का सर्वे वर्ष
 - (ग) गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नाम दर्ज होने का सरल क्रमांक
 - (घ) ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड क्रमांक जिला
- निःशक्तजन, यदि किसी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत है तो किस कक्षा में अध्ययनरत है
- कक्षा में प्रवेश का दिनांक
- निःशक्तजन का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें

हितग्राही का विकलांगता दर्शाता हुआ मानसिक रूप से अ विकसित/बहुविकलांग नवीनतम फोटो (माता/पिता/पालक/अभिभावक के साथ संयुक्त फोटो)

10. निःशक्तजन का धर्म
11. निःशक्तजन के निवास स्थान अथवा आसपास स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक जहां पर उसके एवं उसके माता /पिता / पालक/अभिभावक का संयुक्त बचत खाता है, उक्त बैंक तथा शाखा का पूरा नाम एवं पता

घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण-पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है, कोई भी असत्य जानकारी पाई जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। इस योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है, योजना में दर्शायी गई समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान

दिनांक

निःशक्तजन का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर
अथवा अंगूठे का निशान

माता/पिता/पालक/अभिभावक/का नाम तथा हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

(1)(2).....(3).....

(4)(5).....(6).....

प्रारूप "ख"

ग्राम पंचायत/वार्ड के पार्षद का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निःशक्तजन श्री/कुमारी
आत्मज श्री/श्रीमती निवासी.....
ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड क्रमांक जनपद पंचायत/नगर पंचायत /
नगर पालिका/नगर निगम..... जिला (मध्यप्रदेश) निःशक्तता प्रमाण-पत्र
के आधार पर बहुविकलांगता/मानसिक रूप से अविकसित..... निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं।

निःशक्तजन के माता/पिता /पालक/अभिभावक (श्री/श्रीमती)..... उम्र..... का
नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची के सरल क्रमांक गरीबी रेखा से नीचे वाले सर्वे वर्ष.....
में दर्ज है। उक्त गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची वर्तमान में मान्य है। उक्त निःशक्तजन इस योजना का लाभ वर्तमान में प्राप्त
नहीं कर रहा है।

मैं, उक्त निःशक्तजन को सहायता अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूँ।

स्थान

दिनांक

सरपंच/पार्षद का नाम
तथा हस्ताक्षर उसकी मुद्रा सहित

प्रारूप "ग"
जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि निःशक्तजन श्री/कुमारी..... आत्मज श्री/श्रीमती..... को सामाजिक न्याय विभाग की मध्यप्रदेश के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना नियम, 2009 के अनुसार सहायता अनुदान की पात्रता है, तथा इन्हें सहायता अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/
नगर निगम के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम,
उसकी मुद्रा सहित

प्रारूप "घ"

संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश के कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि निःशक्तजन श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज श्री/श्रीमती..... निवासी.....
वार्ड/ग्राम..... जनपद पंचायत..... जिला..... मध्यप्रदेश
निःशक्तता प्रमाण-पत्र के आधार पर बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित..... निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं।

निःशक्तजन के माता/पिता/पालक/अभिभावक श्री/श्रीमती..... उम्र..... का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची के सर्वे वर्ष..... में गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची के सरल क्रमांक..... पर दर्ज है, उक्त गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची वर्तमान में मान्य है, उक्त निःशक्तजन को इस योजना का लाभ अब तक वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त निःशक्तजन को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

सहायता अनुदान प्रतिमाह संबंधित निःशक्तजन एवं उसके माता/पिता/पालक/अभिभावक के संयुक्त बचत खाता में सीधे जमा किया जायेगा, इस प्रयोजन हेतु संबंधित बैंक/शाखा का पूरा नाम तथा पूरा पता..... बचत खाता क्रमांक.....

आवेदन अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें.....

स्थान.....
दिनांक.....

संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय के हस्ताक्षर,
नाम एवं पदमुद्रा सहित
जिला..... मध्यप्रदेश